**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 612**

**08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक सुधार**

**612. श्री मोहम्मद अली खानः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू किए गए कई सुधारों के इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधार शुरू किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए सुधारों में कोई बदलाव करने का विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)**

**(क):** सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। उक्‍त उद्देश्‍य के लिए, सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने फसल उत्‍पादकता में सुधार; पशुधन उत्‍पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्‍पादन की लागत में बचत; फसलन बहुलता में वृद्धि; उच्‍च मूल्‍य फसलों के लिए विविधीकरण; किसानों द्वारा प्राप्‍त वास्‍तविक मूल्‍यों में सुधार; और फार्म से गैर-फार्म व्‍यवसायों में बदलना जैसे आय वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है। इसने अपेक्षित वृद्धि को प्राप्‍त करने की रणनीतियों का भी सुझाव दिया है।

**(ख) एवं (ग) :** कृषि एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें भावी योजनाओं का विकास करती हैं और कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार, अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरक बना रही है। किसानों के लिए शुद्ध सकारात्मक लाभ प्राप्‍त करने के लिए, राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्यम से योजनाओं को निम्न प्रकार से बढ़ावा और कार्यान्वित किया जा रहा है: - मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना; नीम लेपित यूरिया (एनसीयू); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा); परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्ट्रीय तिलहन और आयल पाम मिशन (एनएमओओपी); राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इसके अलावा, वृक्षारोपण (हर मेढ़ पर पेड़), मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएं भी कार्यान्‍वित की गई हैं। ये सभी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यान्‍वित की गई हैं। केंद्र सरकार योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है।

सरकार ने मौसम 2018-19 के लिए सभी अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत से अधिक कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ बढ़ा दिया है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि इसने केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन लागत से अधिक कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के स्तर पर एमएसपी तय करने के वादे को भुनाया था।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों / किसानों के लिए एक लाभकारी और स्थिर मूल्य वातावरण को सुनिश्‍चित करने के लिए हाल ही में शुरू की गई अम्‍ब्रैला योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक सर्वांगीण व्यवस्था प्रदान करती है। इस अम्‍ब्रैला योजना में किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन के लिए मूल्य ह्रास भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्‍टॉकिस्‍ट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं।

सरकार ने केन्‍द्रीय बजट 2019 में लघु एवं सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)’’ नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की घोषणा की है जिसे भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित किया जाएगा।

 इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भू-जोत वाले सभी लघु और सीमांत किसान परिवारों, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, को प्रति वर्ष 6000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। यह वित्तीय लाभ एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक 4 माह की अवधि में 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत यह लाभ 01.12.2018 से स्वीकार्य होगा।

**\*\*\*\*\*\***